



**भारत सरकार**  
**Government of India**  
**राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**  
**National Commission for Scheduled Tribes**  
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. AU/10/2017/STGMP/DELAAL/RU-III

दिनांक: 19-02-2018

सिटिंग नोटिस

विषय: बैनामी ज़मीन खसरा नंबर 147,150 ग्राम दावाझिर, तहसील चॉद बं नं 128, प.ह.न. 141, कुल रकबा 3.471 हेक्टेयर की बैनामी रजिस्ट्री शून्य कर भू राजस्व संहिता की धारा 170 ख एवं 165 (6) के अन्तर्गत कार्यवाही कराने और आदिवासी परिवार की पैतृक भूमिस्वामी भूमि को गैर आदिवासी द्वारा बेदखल अत्याचार शोषण से हडपने के संबंध में— श्री आशाराम उड्के, जिला— छिन्दवाड़ा (मध्य प्रदेश) का दिनांक 20 / 07 / 2017 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है। (अभ्यादेदन की प्रतिलिपि संलग्न है)

2. सुश्रो अनुसुईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई पर छिंदवाड़ा सर्किट हाउस में दिनांक 28.02.2018 को 03.30 बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित शिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित सपूर्ण तथ्यों एवं सभी रागत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से गान्डीय उपाध्यक्ष के समझ सर्किट हाउस में प्रदर्शन के लिए उपस्थित होना शनिविरत करें।

4. आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त बैठक दिनांक 28.02.2018 के लिए ज़रूरी द्यावणा भी करें।

25

(आर. के. दबे )

सहायक निदेशक

三

कलेक्टर,  
जिला-छिंदवाड़  
(मध्य प्रदेश)

卷之三